न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 95/2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तत्कालीन ग्राम पंचायत, मण्ड़ार, हाल– नगरपालिका, मण्ड़ार जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर व जिला– सिरोही
2. जगदीश कुमार पुत्र श्री लादूराम जीनगर, निवासी–मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

–: निर्णय :– **दिनांक 10 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) जगदीश कुमार पुत्र श्री लादूराम जीनगर, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में क्षेत्रफल 72 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा विलेख संख्या 28 दिनांक 24–7–2003 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार, उप तहसीलदार, मण्ड़ार व पटवारी मण्ड़ार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को जारी उक्त पट्टा गोचर भूमि पर जारी किया गया हे। पट्टे की मिसल व प्रस्ताव रजिस्टर, रेकर्ड में उपलब्ध नही है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से तामिल करवाये गये, लेकिन अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 10–12–2025 को प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड/दस्तावेजों के अनुसार गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड/दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के अर्न्तगत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में क्षेत्रफल 72 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 28 दिनांक 24–7–2003 को जारी किया गया है, जो उक्त पट्टे पर अंकित अनुसार पंचायत के संकल्प संख्या 2 दिनांक 20–3–2003 के अनुसरण में जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम मण्ड़ार, पटवार हल्का मण्ड़ार के खसरा संख्या 954 रकबा 2–00 बीघा किस्म गै.मु. गोचर भूमि व खसरा संख्या 954/1 रकबा 0–06 बीघा किस्म गै.मु. गोचर भूमि दर्ज है एवं खसरा संख्या 954/3472 रकबा 2–00 बीघा किस्म आबादी भूमि दर्ज है। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में उक्त खसरा संख्या 954 रकबा 2–00 बीघा किस्म गै. मु. गोचर भूमि पर पट्टा जारी किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विरुद्ध उक्त खसरा संख्या 954 किस्म गै.मु. गोचर भूमि में से 72 वर्गफीट भूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही, उप तहसीलदार, मण्ड़ार के न्यायालय में दर्ज हुई है, जिसके प्रकरण

.......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या 18/2024 है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में गोचर भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत को गोचर भूमि पर पट्टे जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में जारी उक्त पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी जगदीश कुमार पुत्र श्री लादूराम जीनगर, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में क्षेत्रफल 72 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा विलेख संख्या 28 दिनांक 24–7–2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही